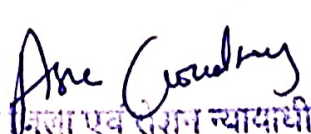


न्यायालय:- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना-कुचामन

बउनवान-शौकत अली व अन्य बनाम हाजी मुख्त्यार अहमद व अन्य
 किरम- दीवानी मूल प्रकरण नंबर-62/16,53/16 कं.न.-91/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06-11-25	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। अधिवक्ता वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 12 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि वादी खान संख्या 79 उलोडी रेंज मकराना के संबंध में माईनिंग विभाग की पत्रावली तलब कराना चाहता है और उक्त पत्रावली वादी के बयानों से पहले तलब करना आवश्यक है। माईनिंग विभाग वादी को उक्त पत्रावली की नकले नहीं दे रहा है और उक्त पत्रावली न्याय निर्णय के लिए आवश्यक है अतः खान संख्या 79 उलोडी रेंज मकराना की माईनिंग विभाग की पत्रावली तलब करने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में माईनिंग विभाग की ओर से वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से चाहे गए दस्तावेजात पेश किए गए जिनके संबंध में वादी अब्दुल कयूम ने आदेशिका पर माईनिंग विभाग से दस्तावेजात प्राप्त होने के बाबत अपने हस्ताक्षर किए अतः वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से चाहे गए दस्तावेजात माईनिंग विभाग से प्राप्त होने से वादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाने से उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक ...13.11.25 को पेश हो।  अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन	